उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या–वे0आ0–2–30 / दस–2010–54(एम) / 2008टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 14 जनवरी, 2010

संकल्प

पढ़ा गया : वेतन समिति (2008) के छठें प्रतिवेदन मे की गई संस्तुतियॉ।

पर्यालोचनार्थः– शासन द्वारा वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों के कार्य प्रभारित कार्मिकों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया गया। शासन ने वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को निम्नवत् स्वीकार कर लिया है :––

(1) कार्य प्रभारित कार्मिकों को अनुमन्य वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन संलग्न तालिका के अनुसार अनुमन्य होगें। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में निर्धारित वेतन दिनांक 01 जनवरी 2006 अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने की तिथि से देय होगा एवं मॅहगाई भत्ते की संशोधित दरें, राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य करायी गयीं दरों के अनुसार उन्हीं तिथियों से देय होंगी जैसा कि राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य करायी गयी हैं।

(2) वेतन समिति की इस संस्तुति को भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में उपलब्ध कोई वेतनमान यदि संस्तुति में सम्मिलित होने से छूट गया हो तो ऐसे वेतनमान के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन, समान Consideration के आधार पर निर्धारित कर दिये जायेगें।

(3) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :––

(क) ऐसे कार्य प्रभारित कार्मिकों जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मंहगाई भत्ते की धनराशि को शासन की सहमति से मॅहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की वही प्रकिया रखी जायेगी जो राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित है।

(ख) ऐसे कार्य प्रभारित कार्मिकों जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मॅहगाई भत्ते की धनराशि को मॅहगाई वेतन में परिवर्तित नहीं किया गया है, अथवा जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मॅहगाई भंत्ते की धनराशि को मॅहगाई वेतन में शासन

की अनुमति के बिना परिवर्तित किया गया है, का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :—

"दिनांक 01—01—2006 को वर्तमान वेतनमान में अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि सादृश्य पुनरीक्षित वेतन वैण्ड में वेतन के रूप में निर्धारित की जायेगी। उक्त धनराशि तथा सादृश्य ग्रेड वेतन के योग को पुनरीक्षित वेतन सरंचना में मूल वेतन माना जायेगा।"

(4) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि की तिथि समान रूप से सभी के लिए 01 जुलाई रखी जायेगी।

(5) कार्य प्रभारित कार्मिकों को ऐसे भत्ते/सुविधायें जो राजकीय कर्मचारियों के समान पूर्व से मिल रहें हैं यथा—मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता आदि पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य कर्मचारियों के लिये अनुमन्य दरों पर उसी तिथि से उसी प्रकार देय होगें जैसा कि राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य कराये गये हैं।

(6) ऐसे भत्ते/सुविधायें (सामूहिक बीमा योजना को छोड़कर) जो कार्य प्रभारित कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य अनुमन्य नहीं है, की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जायेंगे। ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो नियमित हो जाते हैं, उन्हें राज्य कर्मचारियों के लिये प्रचलित सामूहिक बीमा योजना का लाभ स्वतः अनुमन्य है।

(7) ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों जिनके नियमित अधिष्ठान में समायोजन/नियुक्ति हो जाने के उपरान्त नियमित अधिष्ठान की 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण नहीं होती है, उनके मामले मे नियमित अधिष्ठान की 10 वर्ष की सेवा मानते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा की अनुमन्यता के सम्बन्ध में संस्तुति देने के विषय को उपर्युक्त प्रस्तर—6 के अनुसार प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति के विचार क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।

(8) वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन में कार्य प्रभारित कार्मिकों के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति विषयक आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

(9) कार्य प्रभारित तथा दैनिक वेतन पर दिनांक 29 जून, 1991 के पूर्व नियुक्त एवं निरन्तर कार्यरत चले आ रहे कार्मिकों तथा मस्टर रोल पर नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण एवं समायोजन सम्बन्धी संस्तुतियॉ

सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार की गई हैं। इस सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रमुख सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित सरप्लस स्टाफ पूल प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी।

(10) वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन के प्रस्तर–13 के उप प्रस्तर– (i), (ii), (iii) तथा (iv) में उल्लिखित सुझावों पर संस्तुति देने का विषय उपर्युक्त प्रस्तर–6 के अनुसार प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति के विचार क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।

(11) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर किया जायेगा।

(12) किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

(13) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निर्वहन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन–साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गज़ट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का छठा प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेब साइट पर रखा जाय और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति का छठा प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियॉ, सम्बन्धित सेवा संघों और जनता के लिए बिकी हेतु उपलब्ध रखी जायें।

आज्ञा से,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–30(1)/दस–2010–54(एम)/2008टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग, भू गर्भ जल विभाग तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिवालय के सम्बन्धित विभागों से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संकल्प संख्या–वे0आ0–2–30/दस–2010–54(एम)/2008टी0सी0,
दिनांकः 14 जनवरी, 2010 का संलग्नक।

क्रम सं0	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	2550–55–2660–60–3200	–1 एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1 एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1 एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 82 सा0वित्र–16.01.2010–(2086)–5,000 प्रतियां (आफसेट)।